संख्या-25/1790जेड/6-सा-3-2018-23(विविध)/2018

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्,
लखनऊ|

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2018

विषय: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन रीवर बैंक कॉलोनी लखनऊ में रिक्त चल रहे 01 कहार एवं 01 स्वीपर के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4662/छ:-स्व0से0/2018 दिनांक 25.09.2018 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-9/2018/858 जेड/6-सा -3-2018-50जी/17टीसी, दिनांक 01-04-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ में रिक्त 01 कहार एवं 01 स्वीपर के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने पर कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने हेतु अनुदान संख्या-2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-07-मानदेय में हो रही बचत में से अनुदान संख्या-28-लेखाशीर्षक-2251-सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं-092–अन्य कार्यालय-03-उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-16-व्यवसायिक विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू० **1,40,000 (रू० एक लाख चालीस हजार मात्र)** की धनराशि दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं |

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि की मॉग जिस प्रयोजन हेतु की गयी है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

क्रमश:-2

shashanadesh.nic.in

3- जिस मद से बचत दर्शायी जा रही है, में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

4- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

5- केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

6- पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कर लिया जायेगा|

7- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31-03-2019 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त धनराशि को एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

10- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-28- लेखाशीर्षक-2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-092–अन्य कार्यालय-03-उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-16-व्यवसायिक विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही अनुदान संख्या-2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-07-मानदेय की सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः--3

संख्या-25/2018/1790(1)जेड/6-सा-3-2018,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी।
8- राजनैतिक पेंशन अनुभाग- 1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
उप सचिव

-

shasnadeshup.nic.in